Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **भरतपुर में केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर के अधीक्षक एवं निरीक्षक 4 लाख रुपये रिश्वत राशि लेकर जाते पकड़े जाने पर गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *14 जून, मंगलवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर भरतपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये धनराज कुमावत अधीक्षक एवं विनय यादव निरीक्षक कार्यालय केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर, अलवर को परिवादी से **4 लाख रुपये** रिश्वत राशि लेकर जाते गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की भरतपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके रीको औद्योगिक क्षेत्र भरतपुर में स्थित ऑयल मिल पर फर्जी स्टॉक बताकर उसके विरूद्ध केस बनाने की धमकी देकर धनराज कुमावत अधीक्षक एवं विनय यादव निरीक्षक कार्यालय केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर, अलवर द्वारा **10 लाख रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है और काफी अनुनय विनय करने के पश्चात आरोपी **4 लाख रुपये** रिश्वत राशि परिवादी से वसूल कर अपनी स्विफट डिजायर गाड़ी से भरतपुर से अलवर जा रहे हैं।

जिस पर एसीबी, जयपुर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा** के सुपरवीजन में एसीबी भरतपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महेश मीणा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा परिवादी की सूचना पर आकस्मिक चैंकिग की कार्यवाही करते हुये संदिग्ध स्विफट डिजायर गाडी को सीएनजी पम्प, रीको रोड़, भरतपुर में रूकवाकर चैक किया। जिसमें धनराज कुमावत पुत्र स्व. श्री राजीराम कुमावत निवासी एस–1, अमृतकुंज, मुरलीपुरा, जयपुर हाल अधीक्षक कार्यालय केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर, अलवर एवं विनय यादव पुत्र श्री विजयपाल निवासी ग्राम जखराना, पुलिस थाना बहरोड़, जिला अवलर हाल निरीक्षक कार्यालय केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर, अलवर को परिवादी से वसूल की गई **4 लाख रुपये** की रिश्वत लेकर जाते गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।